सेवा में.

अंचल अधिकारी,

सोनपुर, सारण

दिनांक - 08/08/2024

विषय - दाखिल ख़ारिज याचिका 33711 (6297 R27/2023 - 2024) को रोकने के सम्बन्ध मे।

महोदया,

भूमि की दाखिल-खारिज के लिए RAHUL RAJ, पुत्र/पत्नी/पुत्री- RASENDRA KUMAR SINGH, निवासी ग्राम- VILL-KHARIKA, द्वारा खाता संख्या - 445, खेसरा संख्या - 470 के लिए याचिका दी गई है। याचिका में दी गई चौहदी गलत है। भूमि के अनुसार चौहदी के दक्षिण में 10 फ़ीट का निजी रास्ता है पर याचिका में गलत विवरण दिया गया है और चौहदी के दक्षिण धर्मशीला सिंह का नाम दिया गया है।

महोदया, धर्मशीला सिंह के भूमि (वर्तमान भाग संख्या -18, पेज संख्या -65, खाता - 313, खेसरा -468) के चौहदी के अनुसार उत्तर में -सुरेश प्रसाद सिंह वो निजी रास्ता है। यदि धर्मशीला सिंह के भूमि के उत्तर में निजी रास्ता है तो दाखिल ख़ारिज याचिका में दी गई चौहदी के दक्षिण में धर्मशीला सिंह का विवरण गलत है। वास्तविकता में दाखिल ख़ारिज याचिका के भूमि के दक्षिण में 10 फ़ीट का निजी रास्ता है।

अतः महोदया से अनुरोध है की इस गलत चौहदी के दाखिल ख़ारिज याचिका को रोका जाए।

संलग्न - धर्मशीला सिंह की भूमि की दाखिल ख़ारिज,

आपका विश्वासी,

सुरेंद्र कुमार सिंह अशोक कुमार सिंह (8210212499) ग्राम + पो - खरिका जिला — सरण